न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम्, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 184 / 2026
छातापुर थाना काण्ड संख्या– 368 / 2024

	1. सकीना खातुन, 2. मो0 ताहीर .....आवेदकगण **बनाम्** बिहार सरकार.....विपक्षी	
09/04/26	प्रार्थी अभियुक्तगण सकीना खातुन एवं मो0 ताहीर की ओर से छातापुर थाना काण्ड सं0 368 / 2024 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री एम0टी0 हुसैन द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी अभियुक्तगण के द्वारा वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय से तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना से खारिज है। प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध एक अन्य आपराधिक मामला दर्ज है। प्रार्थी अभियुक्त को गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढंत है। प्रार्थी अभियुक्त सकीना खातुन ने अपने पति मो0 समीम के विरूद्ध जी0आर0 केस नं0 273 / 20 दर्ज करायी है जो साक्ष्य हेतु विद्वान अनुमंडल न्या0 दण्डाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में लंबित हैं। प्रस्तुत वाद की सूचिका प्रार्थी अभियुक्त की चचिया सास है। प्रार्थी अभियुक्त ने अपने पति के विरूद्ध भरण पोषण वाद सं0 30 / 20 भी दायर करायी है जिसमें भरण पोषण की राशि प्रतिमाह चार हजार रूपया भूगतान करने का आदेश है परंतु उक्त राशि का भूगतान सूचिका के भतीजा द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रस्तुत वाद प्रार्थी अभियुक्त सकीना के पति मो0 समीम ने जानबुझकर दबाव डालने की नीयत से मेल करने के लिए दर्ज कराया है तथा इससे पूर्व भी मो0 समीम स्वयं भी प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध नरपतगंज थाना काण्ड सं0 128 / 20 दर्ज करवाया है जिसमें प्रार्थी अभियुक्तगण जमानत पर है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने, सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद सूचिका रोशन खातुन के आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तगण सहित कुल 5 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 126(2),115(2),118(1),109(1),76, 303,329(3),351,351(2),3(5) BNS के अंतर्गत छातापुर थाना काण्ड सं0 368 / 24 दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचिका का कथन है कि दिनांक 04 / 12 / 24 को 10 बजे रात्रि में सूचिका पुरे परिवार खाना पीना खाकर सो गयी थी। उसी रात्रि को पूर्व विवाद के रंजिश से अचानक मजमा बनाकर हथियार लेश चाकू, दबिया, फरसा इत्यादि हथियार लेकर उसके घर में प्रार्थी अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तगण उसके घर में घुस कर सूचिका का गला दबाकर मो0 सदाम ने उसे मारना चाहा तो सूचिका की नींद खुली तो वह चिल्लाने लगी तो सभी अभियुक्त मार कर उसे जख्मी कर दिया। अभियुक्त समसाद ने सूचिका के मुँह में कपड़ा ठुस कर बंद कर दिया और मो0 सदाम ने उसके साथ रेप करना चाहा। सूचिका विरोध की तो धारदार चाकू उसके पेरू में भोंक दिया जिससे उसका मांस कटकर गिर गया। सूचिका बेहोश हो गयी। उसके घर में रखा बक्सा से 70,000 / – रू0 एवं चांदी	लगातार..

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम्, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 184 / 2026
छातापुर थाना काण्ड संख्या– 368 / 2024

09/04/26 **लगातार**	का जेबरात 50 भरी का निकाल लिया तथा घर का सारा सामान लूट लिया। सभी अभियुक्तगण धमकी दिया। सूचिका के गले का चेन दस भरी का सकीना खातुन ने छीन ली तथा मो0 सदाम धमकी दिया साली आज बच गयी अगले रोज जान से मार देंगे, बचाने कोई नहीं आऐगा। सूचिका ईलाज कराने हेतु छातापुर अस्पताल गयी तो डॉक्टर ने बेहतर ईलाज के लिए रेफर कर दिया। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर रात्रि के समय अचानक घर में घुसकर गला दबाने एवं रेप करने का कोशिश करने एवं धारदार चाकू से प्रहार कर जख्मी करने एवं जेबरात लेने एवं घर में लूटपाट करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। सूचिका ने अपने पुनः बयान (पैरा– 2) तथा अन्य साक्षियों ने अपने–अपने बयानों (पैरा– 7 एवं 8) में घटना का समर्थन करते हुए प्रार्थी अभियुक्तगण की उसमें संलिप्तता का स्पष्ट वर्णन किया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 40 से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध काण्ड को सत्य पाया गया है तथा काण्ड दैनिकी की कंडिका 54 में वर्णित जख्म प्रतिवेदन से भी घटना एवं प्राथमिकी का पूर्णतया समर्थन होता है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 55 से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप अगंभीर प्रकृति का है तथा वाद अभी अनुसंधानाधीन है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्तगण सकीना खातुन एवं मो0 ताहीर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	